भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3027
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना

†3027. श्री जी. सेल्वमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तमिलनाडु में जल जीवन मिशन (जेजेएम) हर घर जल के अंतर्गत नल जल कनेक्शनों का कवरेज अगस्त 2019 में 17.37 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 तक 88.48 प्रतिशत हो गया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन के आरम्भ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत तमिलनाडु में जिला-वार कितने ग्रामीण परिवारों को कार्यशील नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;
(ग) क्या इस मिशन के अंतर्गत कोई कार्य लंबित है या कोई जिला अभी तक भी पूर्ण कवरेज प्राप्त नहीं कर पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पूर्ण होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(घ) तमिलनाडु में हर घर जल के अंतर्गत प्रमाणित गांवों की संख्या कितनी है और ग्राम पंचायतों को स्थानीय जल आपूर्ति प्रणालियों का सतत प्रबंधन और रखरखाव करने के लिए सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) : भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। जेजेएम-आईएमआईएस पर तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत के समय, केवल 21.76 लाख (17.37%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग

90.21 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 15.12.2025 तक, राज्य के 125.26 लाख ग्रामीण परिवारों में से 111.97 लाख (89.39%) ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल कनेक्शन का प्रावधान उपलब्ध है।

जेजेएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की जिला-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

तमिलनाडु के 37 जिलों में से 15 जिलों में हर घर जल की सूचना है। दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025 के दौरान संवर्धित कुल परिव्यय के साथ जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।

(घ) : तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में 8,047 गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है। जेजेएम की परिकल्पना और कार्यान्वयन एक विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को वित्त आयोग के अनुदान, सांसद और विधायक की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

जेजेएम के तहत, एनजीओ/समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) आदि को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों की योजना बनाने, समुदायों की लामबंदी और उन्हें शामिल करने, सूचना का प्रसार करने तथा महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

(ङ) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

i) अंतिम बसावटों तक उचित रखरखाव और पानी की निर्धारित मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन आधारित संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) संविदा कार्यान्वित की जाती है। निष्पादन-आधारित संविदा के अनुसार, रसायनों सहित सीडब्ल्यूएसएस का रखरखाव, लीक, पाइप फटने की स्थिति को ठीक करना और लाभाथयों को निर्धारित मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

ii) गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, टीडब्ल्यूएडी पीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग उन ओ एंड एम योजनाओं के लिए किया जाता है, जिसमें दैनिक पंपिंग मात्रा, लाभार्थी-वार आपूर्ति, लीक और पाइप फटने आदि जैसे विवरणों की सूचना दी जाती है तथा उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।

iii) जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव में जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए प्रत्येक दिन यादृच्छिक रूप से चयनित पांच ग्राम पंचायतों से फीडबैक एकत्र करने के लिए टीडब्ल्यूएडी बोर्ड के प्रधान कार्यालय में ओ एंड एम निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

iv.) थोक जल आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत को प्राप्त करने के लिए टीडबल्यूएडी बोर्ड, प्रधान कार्यालय में एक आपातकालीन सूचना प्रतिक्रिया केंद्र (ईआईआरसी) की स्थापना की गई है।

v) एकल ग्राम योजनाओं और बहु-ग्राम योजनाओं के ग्राम-अवस्थित घटकों का रखरखाव आरडी और पीआर विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी द्वारा किया जाता है।

vi) नल जल मित्र बहु-कौशल कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उम्मीदवार को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों द्वारा एसवीएस/ग्राम-अवस्थित घटकों को बनाए रखा जा सके।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में 113 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। साथ ही, जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए हर गांव में 5 व्यक्तियों, महिलाओं को प्राथमिकता देने और प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी गई है। अब तक, तमिलनाडु राज्य ने एफटीके परीक्षण के लिए 62,898 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।

****